सुपर बाजार में बढ़ता गैर-योजनागत व्यय

705. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सुपर बाजार के विभिन्न विभागों में गैर-योजनागत व्यय बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस व्यय में कमी करने के लिए सुपर बाजार के प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) वर्ष 1994–95 के दौरान उपर्युक्त व्यय में कमी करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ङ) सुपर बाजार का व्यय योजना और गैर-योजना व्ययों के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, जैसी कि सरकारी लेखा में पद्धति होती है। सुपर बाजार का व्यय, समग्रत: पूरे सहकारी भण्डार के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। कुल व्यय, जिसमें कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, ब्याज, किराया और अन्य सभी प्रशासनिक व्यय शामिल है, में वृद्धि हुई हैं। 1990–91 से 1992–93 के वर्षों में हुए व्यय के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) । व्यय में वृद्धि, मुख्य रूप से स्थापना लागत, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों की मंजूरी तथा वेतन-वृद्धि इत्यादि के कारण हुई है। सुपर बाजार को प्रबंध समिति ने और भर्ती (तकनीकी श्रेणियों को छोड़कर) करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, ताकि इस शीर्ष के तहत व्यय को नियंत्रित किया जा सके। जब कभी नई शाखाएं खोली जाती हैं, उनमें कर्मचारियों को मौजूदा वर्ग में से तैनात किया जाता है। सुपर बाजार विभिन्न बिक्री केन्द्रों की समीक्षा कर रहा है तथा कुछ शाखाओं को जो आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर नहीं हैं, बन्द भी कर दिया गया हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

वर्ष	कर्मचारियों का वेतन	ब्याज	किराया	अन्य सभी प्रशासनिक व्यय	योग
1990–91	610.25	19.67	24.10	106.80	760.91
1991–92	677.72	21.66	30.30	158.64	888.32
1992–93	741.07	20.36	33.38	149.06	943.87